सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 04 फाल्गुन, 1942 (श०) / 23 फरवरी, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	शिक्षा विभाग	04
	कुल योग --	04

शैक्षणिक स्तर को सुधारना

5. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नेशनल एचीवमेन्ट सर्वे द्वारा तैयार किये गये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार बिहार के शैक्षणिक स्तर का स्कोर सबसे नीचे यानी 35.24 रहा है, यदि हाँ, तो सरकार शैक्षणिक स्तर में सुधार कराने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

प्रोन्नत करना

6. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कोरोना काल में राज्य के 78 हजार सरकारी स्कूलों के बच्चों में से सिर्फ 20 प्रतिशत बच्चों को ही किताबें दी गई तथा 26 प्रतिशत बच्चों के लिये ही दूरदर्शन पर पढ़ाई की व्यवस्था की गई, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त सभी बच्चों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ; वित्तीय वर्ष 2018-19 में बच्चों को स्वयं खुले बाजार से पुस्तके खरीदने हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के द्वारा D.B.T. के माध्यम से बच्चों के खाते में राशि उपलब्ध करायी जाती है । इस राशि से बच्चे स्वयं बिहार राजय पाठ्य पुस्तक निगम लि0 के चयनित मुद्रकों के माध्यम से खुले बाजार में उपलब्ध करायी गयी, पुस्तकों का क्रय करते हैं । वर्ष 2020-21 में 11996246 बच्चों के खाते में मेधासॉफ्ट के माध्यम से हस्तांतरण हेतु कुल 37862.78 लाख की राशि D.B.T. कोषांग को निर्गत की गयी है । सभी बच्चों को शिक्षकों के माध्यम से पुस्तकों के क्रय किये जाने के लिये उत्प्रेरित किया जा रहा है ।

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाश निगम लि0 द्वारा कोरोना काल में वर्ग 1 से 8 तक की पुस्तकों को निगम के बेवसाईट पर पढ़ने के लिये अपलोड किया गया तथा विद्यावाहिनी मोबाईल ऐप का निर्माण/विकसित कर बच्चों को पुस्तके पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई ।

जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दूरदर्शन बिहार के माध्यम से प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम को 5175362 (जिलावार विवरण संलग्न है) छात्र/छात्राओं द्वारा देखे जाने की सूचना प्राप्त है ।

सभी बच्चों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के संबंध में निर्णय लिया जा रहा है ।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराना

7. डॉ0 रामानुज प्रसाद--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित शीर्षक ''पढ़ाई में हर साल 500 करोड़ रुपये जा रहे बाहर'' के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में संसाधनों के अभाव में जेईई एवं नीट की तैयारी हेतु हर साल 60 से 80 हजार बच्चे कोटा, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में पलायन करते हैं, जिसके कारण हर साल पाँच सौ करोड़ रुपये राज्य से बाहर जा रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदेश में ही संसाधन उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि जेइई एवं नीट की तैयारी के लिये छात्र/छात्राएँ अपनी सुविधानुसार कोचिंग संस्थान का चयन कर तैयारी करते हैं । प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में भी कई ऐसे संस्थान है, जहाँ विद्यार्थी जेइई एवं नीट की तैयारी कर सकते हैं । राज्य के बाहर अवस्थित कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

राज्य के विद्यार्थियों को जेइई एवं नीट की तैयारी का आधार सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार कटिबद्ध है । इसके लिये सरकार के स्तर से कई कदम उठाये गये हैं । इस क्रम में राज्य के प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा सुलभ कराने हेतु माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है । माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 का आयोजन किया गया है । विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुये वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है । प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रयोगशालाओं को समुन्नत किया गया है एवं स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है । परिणामस्वरूप राज्य के मैट्रिक एवं इन्टरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार हो रहा है तथा राज्य के विद्यार्थी जेइई एवं नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर रहे हैं ।

अतिक्रमण मुक्त करना

8. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 1 फरवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''सरकारी स्कूलों की जमीन हड़पने से भी गुरेज नहीं'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के ज्यादातर जिलों के सरकारी स्कूलों की जमीन अतिक्रमण की चपेट में है, राज्य के जिलों में स्कूलों की जमीन का कागजात न तो जिला प्रशासन और न ही शिक्षा विभाग के पास है, जिस कारण स्कूलों की कितनी जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, की जानकारी तक नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य के जिलों के सरकारी स्कूलों के जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 23 फरवरी, 2021 (ई0) ।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 101(एल0ए0), 2020-21-डी0टी0पी0-550